

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 10/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा अनुच्छेद के 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै भाईजान स्टोरस, 110/118, भू तल, फिदा हाउस, मौलाना आज़ाद रोड, डंकन रोड, मुंबई और 2 अन्य.	फा. सं. DRI/AZU/SRU- 22/2017-Bhaijaan दिनांक 23.01.2019	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II), मुंबई जोन-I, न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II), मुंबई जोन-I, न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई.
2.	मै नवनिधि स्टील इंजीनियरिंग को. प्रा. लिं., शॉप सं. 1, लहरी मैन्शन, 236/240, एस वी पी रोड, अलंकार सिनेमा के सामने, मुंबई-400004 और 3 अन्य.	फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(5)/2016 दिनांक 14.09.2018.	आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई (तालिका के क्रम सं. 2 से 9 के लिए).
3.	मै नेक्सस इंपेक्ष, शॉप सं. B-4, भू तल, महावीर दर्शन साई धाम कॉम्प्लेक्स, 26, खमबता लेन, मुंबई-400004 और 3 अन्य	फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(1)/2016 दिनांक 03.10.2018, दिनांक 25.01.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़	
4.	मै एन जी इंडस्ट्रीज़, 94/98, प्रभु श्री राम मंदिर मार्ग, 4था खुमभारवादा लेन, मुंबई-400004 और 3 अन्य.	फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(6)/2016 दिनांक 03.10.2018, दिनांक 25.01.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़	
5.	मै फीनिक्स फोयल्स प्रा. लिं., 52/52A, नानुभाई देसाई रोड, शॉप सं. 13, इस्लामपुरा स्ट्रीट, मुंबई-400004 और 4 अन्य.	फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(9)/2016 दिनांक 26.11.2018.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़	
6.	मै प्रीसीशन इंपेक्ष, 84, 3 ^{रा} कुंभारवाडा, डॉ. एम जी महिमतूरा मार्ग, मुंबई-400004 और 3 अन्य.	फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(2)/2016 दिनांक 05.10.2018.	आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	

7.	मै स्टार्इनोक्ष अल्लोयस प्रा. लि., 103/B, मंगलमूर्ति प्लाज़ा चस, B-विंग, 1 ^म तल, 10 ^म खेतवादी, मुंबई-400004 और 5 अन्य.	फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(4)/2016 दिनांक 26.10.2018.	आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
8.	मै ऑनैस्ट एंटरप्राइज़ लि., 118, मेघदूत अपार्टमेंट, अप्सरा सिनेमा के निकट, प्रताप नगर रोड, वडोदरा, गुजरात-390024 और 4 अन्य.	फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(7)/2016 दिनांक 16.10.2018.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुंदरा पोर्ट, मुंदरा.	
9.	मै यूनिक अल्लोयस प्रा. लि., E-17, ब्लॉक B-1 एक्सटेंशन, मोहन को-ओप इंड. एरिया, वदरपुर, नई दिल्ली-110044 और 4 अन्य.	फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(8)/2016 दिनांक 23.10.2018.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.	

[फा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-6/2019-CI]

(□□□□□ □□□□□)

अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे
4. तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित नोटिसी।